



भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून-248011
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011



पत्रांक 1364/5(1)/SCF/Store/FP/2019-20

दिनांक 09.12.2024

मक्का के दानों का नीलामी नोटिस

भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई पर 85.455 कुंतल मक्का के दानों की खुली नीलामी दिनांक 02.01.2025 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता इस खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं।

इस खुली नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. मक्का के दानों की खुली नीलामी दिनांक 02.01.2025 को प्रातः 11.00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 11:00 तक बजे नीलामी में उपस्थित होंगे उन्हें ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 11:00 के पश्चात किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. मक्का के दानों की नीलामी, जैसी है जहाँ है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात मक्का के दानों से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक बोलीदाता मक्का के दानों का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस में 10:00 बजे से 4:00 बजे के बीच कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पहले अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाते के विवरण की पासबुक की छायाप्रति संस्थान में जमा करानी होगी।
5. बोलीदाता को नीलामी कक्ष में प्रवेश से पहले मक्का के दानों हेतु रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की पंजीकरण राशि (Registration amount) कैश या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR (unit) CSWCRTI, Dehradun के पक्ष में हो जमा कराना होगा। पंजीकरण राशि (Registration amount) जमा न कराने की अवस्था में नीलामी कक्ष/स्थल में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
6. एक पंजीकरण राशि (Registration amount) के कैश या डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
7. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा। तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को पंजीकरण राशि (Registration amount) का कैश/ डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
8. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की 10 प्रतिशत धनराशि को धरोहर राशि (Security money) के रूप में बोली के तुरन्त बाद POS machine or NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कराना होगा जो कि बोलीदाता को माल उठाने की अवधि के 60 दिन पूर्ण होने के पश्चात् कोई भी नुकसान अथवा पैनल्टी न होने की अवस्था में वापस की जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट / पीओएस मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा कराना होगा। नगद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।
10. सफल बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत धनराशि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् सात दिवस के भीतर जमा करानी होगी। इस अवधि में शेष धनराशि जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके पक्ष में अनुमोदित

जि.प्र.दे.व.म.
09/12/2024

- नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनके द्वारा जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनका नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।
11. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश जारी होने की तिथि से मक्का के दानो को 30 दिवस के अन्दर अनुसंधान प्रक्षेत्र के बाहर कार्य दिवस में ले जाना होगा तथा नीलामी के पश्चात् नीलाम किये गये मक्का के दानो को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा। इन 30 दिवस के भीतर यदि नीलाम किये गये माल को अनुसंधान प्रक्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया तो इसके पश्चात् सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 1/2 % (आधा प्रतिशत) प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी/ गोदाम किराये के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पैनल्टी भुगतान के पश्चात् ही उनको माल उठाने की अनुमति दी जायेगी। यह सीमा अधिकतम 15 दिवस की होगी इसके बाद भी यदि बोलीदाता माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रद्द कर, ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एवं शेष बचे माल को भी यदि कोई रहा होगा, को भी जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए बोलीदाता स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
 12. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
 13. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की छायाप्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी एवं उन्हें कोविड-19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।
 14. सफल बोलीदाता द्वारा मक्का के दानो को संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे के बीच ही करना होगा।
 15. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
 16. निदेशक, भा0कृ0अ0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

1 जे. विदेश्वर
09/11/2024
प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई